

मूल वाद में डिक्री
(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट - टोंकरवाड
बइजलास श्री नन्किशोर राजोरा (आर.ए.एस.)
वाद संख्या- 206/ 2018

1. लादू पिता दूदा जाट निवासी - शिवपुरा तहसील हुरडा ।

-वादीगण

1 बलदेव , उदयराम , कन्हैयालाल पिता ^{बनाम} दूदा जाट निवासीयान शिवपुरा , राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार हुरडा , तहसील हुरडा ।

-प्रतिवादीगण

प्रेषित:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से ललित कुमार धनोपिया प्रतिवादी की ओर से बलदेव उदयराम कन्हैयालाल की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 18.05.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर मौजा शिवपुरा गोपालपुरा पटवार हल्का टोंकरवाड तहसील हुरडा की आराजी नं.- 2078, 2079, किता 2 रकबा 17 बिस्वा के मृतक खातेदार मोहन पिता केला हिस्सा 1/3, के स्थान पर वादी लादू पिता दूदा जाट हिस्सा 1/3 से खातेदार घोषित किया जाता है । शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें ।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें ।

यह आज तारीख 18.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

वादे के खर्चे



उपखण्ड अधिकारी
एच पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा केम्प

वादी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील	00	00			
				00	00